

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक- 1228/11-सी-FP/UP/Others/41601/2019, लखनऊ, दिनांक: नवम्बर 29, 2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),  
उ०प्र० शासन,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,  
लखनऊ।

विषय:- जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगाँव मार्ग (SH-84) की बायीं पटरी पर किमी० 51 से 52 के मध्य (चैनेज 51.950) ग्राम संसारपुर के गाटा संख्या-1149/2 व 1150 मि० पर इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०, आगरा द्वारा प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.052278 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या- **FP/UP/Others/41601/2019**

संदर्भ- भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०६/१८/२०२०/एफ०सी०/६२१, दिनांक-०५.०५.२०२०

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ने अपने पत्रांक-1720/14-1 दिनांक 12.11.2020 द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 24.11.2020 को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

**संलग्नक-उपरोक्तानुसार।**

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1228/11-सी-FP/UP/Others/41601/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
- 2- प्रभागीय प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मैनपुरी।
- 3- मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०, 65/2, संजय प्लेस, आगरा।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

oll